(181)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1378—चार / 1998 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 06—05—1998 के द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 224 / 1994—95 / अपील

.....

सांवले सिंह पुत्र भंवर सिंह
निवासी—ग्राम मटघेना, तहसील अटेर
जिला—भिण्ड .....आवेदक

विरूद्ध

1— अनूप सिंह पुत्र जगमोहन सिंह
2— बुद्ध सिंह पुत्र गम्भीर सिंह
3— जगमोहन सिंह पुत्र अतवल सिंह
निवासीगण— ग्राम मटघेना, तहसील अटेर
जिला—भिण्ड .....अनावेदकगण

.....

श्री ओ0पी0 शर्मा, अभिभाषक. आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 20.9.2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 224 / 1994—95 / अपील में पारित आदेश दिनांक 06—05—1998 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि पटवारी हल्का नं0 37 ने दिनांक 23.08.94 को रिर्पोट तहसीलदार, अटेर के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम मटघेना के पटेल गंभीर सिंह की दिनांक 14.08.94 को मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम में पटेली के पद रिक्त होने की सूचना दी । तहसीलदार अटेर द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार ज़ारी किया गया । इस पर

३/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि तहसीलदार को जांच अधिकारी नियुक्ति नहीं किया गया है ऐसी आपत्ति अनावेदक क्र0 1 ने न तो अपील मेमों में उठाई थी और न बहस के समय उठाई थी, फिर भी आवेदक को उक्त बिन्दु पर बिना सुने निर्णय प्रदान करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने विहित नियमों का भली–भांति अवलोकन नहीं किया । तहसीलदार स्वतः भी कार्यवाही पटेली नियुक्ति प्रारंभ कर सकता है और उसके द्वारा प्रारंभ की गई कार्यवाही किसी भी प्रकार व्यर्थ अथवा शून्यवत नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र0 1 ने कोई अपील नहीं किया था बल्कि पुनरीक्षक किया था, जो टेनेवल नहीं होना कलेक्टर ने करार दिया था, उसके विरूद्ध न तो अपील अनावेदक क्र0 1 ग्राह्य योग्य था और न ही कलेक्टर का आदेश । जहॉ तक अनावेदक क्र0 1 की निगरानी की टैलेवल्टि का सवाल है, किसी भी प्रकार त्रुटिपूर्ण नहीं था । जांच अधिकारी के समक्ष आवेदक को छोड़कर शेष सभी पदाविलासी पटेल पद के र्नियोग्य थे। अतः न तो उन्हें सुनने का सवाल था और न उन्हें अपील करने का हक है । किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअंदाज करते हुये, विधि के विपरीत आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 222 में बने नियमों के अन्तर्गत रिक्त पटेल पद पर नियुक्त किये जाने संबंधी समस्त कार्यवाही किये जाने के लिये अनुविभागीय अधिकारी को अधिकार दिये गये है । अंतिम आदेश के पूर्व की समस्त कार्यवाही कलेक्टर अथवा उपखण्ड अधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार यह अन्य राजस्व अधिकारी करेगा, जिसे जांच अधिकारी कहा जायेगा । जांच अधिकारी संहिता की धारा 222 के नियम 2(4) के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा तथा समान अहिर्यतायें पाये जाने पर जांच अधिकारी नियम 8 के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा । किन्तु इस प्रकरण में ग्राम के पटेल श्री गम्भीर सिंह की मृत्यु हो जाने के उपरांत पटवारी मौजा द्वारा एक रिपोर्ट तहसीलदार को पेश

की और तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रांरभ कर दी गई, जबकि उक्त कार्यवाही हेतु तहसीलदार सक्षम नहीं है जब तक कि उसे कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी जांच अधिकारी नियुक्त न कर दें, तब तक की गई सारी कार्यवाही शून्यवत है । प्रकरण नियमानुसार अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दर्ज होना चाहिये था और उनके द्वारा उद्घोषणा की जाना चाहिये थी। प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच हेतु तहसीलदार को भेज कर जांच कराना चाहिये था। यहॉ वर्तमान में प्रकरण तहसीलदार, अटेर द्वारा दर्ज कर सारी जांच पूर्ण कर और जांच प्रतिवेदन के साथ अनुविभागीय अधिकारी, अटेर को भेजा और अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित आदेश में अपने विवके का कोई उपयोग न कर सीधे तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये रिक्त पटेली पद पर सांवले सिंह की स्थायी रूप से नियुक्त कर दी गई, जो कि न्याय प्रक्रिया एवं संहिता की धारा 222 में निर्मित नियमों के विपरीत है ।

6/ इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा जांच की गई है, जबकि तहसीलदार को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त ही नहीं किया गया था, तब ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा की गई समस्त कार्यवाही शून्यवत हो जाती है और जब तहसीलदार द्वारा सारी कार्यवाही ही शून्यवत है तो उस पर अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा निकाला गया निष्कर्ष एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाला गया निष्कर्ष भी शून्यवत है । इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.94 भी बोलता हुआ आदेश नहीं है । मात्र तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होकर ही स्थायी पटेल की नियुक्त कर दी गई । अन्य आवेदनकर्ताओं को सुना ही नहीं और न ही उन्हें पक्ष समर्थन करने का अवसर ही दिया गया। इस कारण से भी आदेश त्रुटिपूर्ण है । पटेल के पद पर नियुक्त बावत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकीर को प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । तहसीलदार द्वारा स्वयं जांच का संचालन किया जाना विचाराधिकार विहीन था । इसी विचाराधिकार विहीन कार्यवाही पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी शून्यवत है । अतः अनुविभागीय अधिकारी, अटेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.94 तथा कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.95 निरस्त किया जाता है । न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा जो प्रत्यावर्तित का आदेश पारित किया है वह भी गलत नहीं है । मैं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के आदेश से सहमत हूँ । क्योंकि अपर

आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 222 के नियम 8 में अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, अटेर को प्रत्यावर्तित किया है और यह सही है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष में पहूँचा हूँ कि न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.98 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर